पत्र संख्या-प्र10/अग्रिम (वि0) 05/2005/ /वि0,(अ0), 16

बिहार सरकार,
वित्त विभाग ।

प्रेषक,

संजीवन सिन्हा,
विशेष सचिव ।

पटना, दिनांक-

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी ।

विषयः- राज्य सरकार के कर्मियों को कम्प्यूटर अग्रिम की स्वीकृति तथा शर्तों के निर्धारण संबंधी संकल्प संख्या- 1624 दिनांक- 29.08.2002 एवं परिपत्र संख्या- 626 दिनांक- 30.06.2010 की कंडिका ''घ'' में संशोधन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार के कर्मियों के लिए कम्प्यूटर अग्रिम की स्वीकृति तथा शर्तों के निर्धारण से संबंधित निर्गत संकल्प संख्या- 1624 दिनांक- 29.08.2002 एवं परिपत्र संख्या- 626 दिनांक- 30.06.2010 की कंडिका ''घ'' में निम्नरूपेण संशोधन किया जाता है :-

(क) पे बैण्ड में प्राप्त वेतन एवं ग्रेड पे 19,530/- (उन्नीस हजार पाँच सौ तीस) रूपये अथवा इससे अधिक प्राप्त करने वाले कर्मियों को प्रथम कम्प्यूटर अग्रिम 80,000/- (अस्सी हजार) रूपये या कम्प्यूटर का अनुमानित मूल्य जो भी कम हो, तथा द्वितीय अग्रिम 75,000/- (पचहत्तर हजार) रूपये या कम्प्यूटर का अनुमानित मूल्य जो भी कम हो देय होगा ।

(ख) पे बैण्ड में प्राप्त वेतन एवं ग्रेड पे 7,100/- (सात हजार एक सौ) रूपये से 19,529 (उन्नीस हजार पाँच सौ उनतीस) रूपये तक प्राप्त करने वाले कर्मियों को प्रथम एवं द्वितीय कम्प्यूटर अग्रिम 30,000 (तीस हजार) रूपये या कम्प्यूटर का अनुमानित मूल्य जो भी कम हो देय होगा ।

संकल्प संख्या- 1624 दिनांक- 29.08.2002 की शेष शर्तें यथावत रहेगी ।

उल्लिखित कम्प्यूटर अग्रिम संबंधी प्रावधान आदेश निर्गत होने की तिथि से लागू होंगे ।

विश्वासभाजन,

ह0/-
(संजीवन सिन्हा)
विशेष सचिव,
वित्त विभाग, बिहार, पटना ।

क09030

ज्ञापांक- वि0(अ0), पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-
(संजीवन सिन्हा)
विशेष सचिव,
वित्त विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक- वि0(अ0), पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- सभी कोषागार पदाधिकारी / उप कोषागार पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-
(संजीवन सिन्हा)
विशेष सचिव,
वित्त विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक- 1478 वि0(अ0), पटना, दिनांक 07/12/10

प्रतिलिपि- निबंधक, उच्च न्यायालय,पटना/राज्यपाल के सचिव/सचिव, लोकायुक्त का कार्यालय, बिहार/सचिव, बिहार विधान सभा एवं परिषद, पटना/सभी आरक्षी अधीक्षक तथा संयुक्त सचिव वित्त विभाग (स्थापना) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(संजीवन सिन्हा)
विशेष सचिव,
वित्त विभाग, बिहार, पटना ।

बिहार सरकार

वित्त विभाग

पटना, दिनांक–29.8.02

विषयः– राज्य सरकार के पदाधिकारियों को कम्प्यूटर अग्रिम की स्वीकृत तथा शर्त्तों का निर्धारण ।

(1) केन्द्र सरकार के पदाधिकारियों को कम्प्यूटर अग्रिम की सुविधा उपलब्ध है । राज्य सरकार के सेवीवर्ग को केन्द्रीय सेवा शर्त्तो के अनुरूप सुविधाएँ उपलब्ध कराये जाने के सैद्धांतिक निर्णय के आलोक मे इन्हें तदनुरूप कम्प्युटर अग्रिम की सुविधा दिये जाने का प्रष्न राज्य सरकार के विचाराधीन था ।

(2) राज्य सरकार के सम्पर्क विचारोपरान्त निम्नांकित शर्त्तों के साथ साथ उक्त सुविधा को स्वीकृति देने का निर्णय लिया है :–

(क) 10,500/–रूपये तथा इससे अधिक मूल वेतन पाने वाले सरकारी सेवक हीं इसके पात्र होगें ।

(ख) प्रथम अग्रिम 80,000/–रूपये या कम्प्युटर का अनुमानित मूल्य तथा द्वितीय अग्रिम 75,000/–रूपये या कम्प्यूटर का अनुमानित मूल्य, जो भी कम हो, देय होगा ।

(ग) प्रथम अग्रिम के मूल एवं सूद को पूरी वसूली हो जाने के बाद हो द्वितीय कम्प्यूटर अग्रिम देय होगा ।

यह अग्रिम पूरे सेवाकाल में मात्र दो बार देय होगा, परन्तु प्रथम एवं द्वितीय अग्रिम के बीच तीन वर्षों का अन्तराल आवष्यक होगा ।

(ध) अग्रिम को वसूली अग्रिम के भुगतान के अगले माह से, अधिकतम 150/–किस्तो में की जायेगी ।

(ड़) निलंबित कर्मचारियों को यह अग्रिम देय नहीं होगा ।

(च) अग्रिम भुगतान की तिथि से दो माह के अन्दर या कम्प्यूटर खरीदने की तिथि से एक माह के अन्दर क्रय प्रमाण–पत्र वित्त विभाग के समक्ष प्रस्तुत करना आवष्यक होगा, अन्यथा भुगतान तथा क्रय के बीच की अवधि के लिए 2 .5 % अतिरिक्त दण्ड सूद देय होगा ।

(छ) उपर्युक्त दो माह की अवधि में कम्प्युटर को बिहार के राज्यपाल के नाम से बंधक रखना भी आवष्यक होगा । अनुपालन नह होने की स्थिति में सूद सहित पूरी राषि एकमुष्त वापस करनी पड़ेगी ।

(ज) यह अग्रिम उन्ही कर्मियों को अनुमान्य होगा, जो स्थायी हों अस्थायी कर्मियों को उसी विभाग के समान के समान या उच्चस्तर के स्थायी कर्मी से जमानत पत्र प्राप्त कर यह अग्रिम स्वीकृत किया जा सकेगा ।

(3) अग्रिम से संबंधित अन्य बिन्दुओं पर, जो इस संकल्प में अंकित नही है, केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित क्रिया /नियम लागू होगें ।

(4) अग्रिम पर 12.5 प्रतिषत साधारण ब्याज देय होगा ।

(5) अग्रिम की स्वीकृति के समय विहित दर से 2.5 प्रतिषत सूद लिया जायेगा, परन्तु स्वीकृत्यादेष को ष

षर्त्तें के अनुपालन तथा किस्तो ं की नियमित अदायगी किये जाने पर 2.5 प्रतिषत की छुट दी जायेगी ।

(6) अग्रिम संबंधी सुविधाएँ एवं प्रावधान आदेंष निर्गत होने की तिथि से लागू होगें ।

आदेष :– आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाषन सर्वसाधारण की जानकारी के लिए बिहार गजट के असाधारण अंक में किया जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेष से,

(रमा कांत सिंह)

सरकार के उप सचिव, वित्त विभाग

ज्ञापांक–प्र0ए0 / अग्रिम (वि0)– 15 / 99 1624 / वि0, पटना, दिनांक–29.8.02

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले0एवं हक), बिहार एवं झारखण्ड, रॉची तथा पटना को सूचना एवं आवष्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(रमा कांत सिंह)

सरकार के उप सचिव, वित्त विभाग

ज्ञापांक–प्र0ए0 / अग्रिम (वि0)– 15 / 99 1624 / वि0, पटना, दिनांक–29.8.02

प्रतिलिपिः–सभी कोषागार पदाधिकारी / उप कोषागार पदाधिकारी को सूचना एवं आवष्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(रमा कांत सिंह)

सरकार के उप सचिव, वित्त विभाग

ज्ञापांक–प्र0ए0 / अग्रिम (वि0)– 15 / 99 1624 / वि0, पटना, दिनांक–29.8.02

प्रतिलिपिः– सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डल आयुक्त / निबंधक, उच्च न्यायालय, पटना / राज्यपाल के सचिव / सचिव, बिहार, विधान सभा एवं परिषद, पटना / सभी समाहर्त्तो / सभी आरक्षी अधीक्षक तथा उप–सचिव, वित्त विभाग(स्था) को सूचना एवं आवष्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(रमा कांत सिंह)

सरकार के उप सचिव, वित्त विभाग

ज्ञापांक–प्र0ए0 / अग्रिम (वि0)– 15 / 99 1624 / वि0, पटना, दिनांक–29.8.02

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को इस आषय के साथ प्रेषित कि इसे बिहार गजट के असाधारण अंक में, प्रकाषित कर 200 प्रतियों अधोहस्ताक्षरी को भेजी जायें ।

(रमा कांत सिंह)

सरकार के उप सचिव, वित्त विभाग